"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2026 — आषाढ़ 26, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक PROJ/2617/2025-O/O DS(C&I).— राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 की कंडिकाओं के अनुसार पात्र इन्क्यूबेटर एवं कॉलेज नवाचार एवं स्टार्टअप सेल को नीति अंतर्गत छूट एवं अनुदान प्रदान करने हेतु यह नियम जारी करता है -

1. प्रभावी दिनांक - ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों तथा इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक को लंबित सभी आवेदनों का निराकरण इस नियम के अनुसार किया जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रस्ताव/आवेदन को राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि में अनुदान/छूट/रियायतों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

2. परिभाषा एवं पात्रता शर्तें -

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में नीति से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30।

(2) इस नीति के प्रयोजनार्थ, इन्क्यूबेटर का वही अर्थ होगा, जो छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 की कंडिका 5(2) के अनुसार परिभाषित है।

(3) शासकीय इनक्यूबेटर से तात्पर्य ऐसे इन्क्यूबेटर से है जो शासकीय संस्थानों द्वारा स्थापित किये गए हों।

(4) निजी इन्क्यूबेटर से तात्पर्य ऐसे इन्क्यूबेटर से है जो निजी क्षेत्र की संस्थाओं / संगठनों द्वारा स्थापित किए गए हों।

(5) नवीन इन्क्यूबेटर से तात्पर्य ऐसे इन्क्यूबेटर से है जो इस नीति के अंतर्गत प्रथम बार वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर रहे हों।

(6) स्थापित इन्क्यूबेटर से तात्पर्य ऐसे इन्क्यूबेटर से है जो नीति की कंडिका 7(3) में उल्लिखित पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हों तथा उन्नयन/संचालन अनुदान हेतु आवेदन कर रहे हों।

3. इन्क्यूबेटरों को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु पात्रता मापदंड एवं प्रक्रिया

(1) नवीन इन्क्यूबेटर हेतु पात्रता मानदंड

(i) आवेदक, इन्क्यूबेटर को नीति की कंडिका 5(2)(i) के अनुसार विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगी। आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण अथवा परियोजना क्रियान्वयन अवधि के दौरान आवेदक इन्क्यूबेटर के विधिक स्थिति में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) आवेदक इन्क्यूबेटर को नीति की कंडिका 7(2) उल्लेखित अनुसार इन्क्यूबेशन गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु पर्याप्त विशेषज्ञता (स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से) तथा नीति की कंडिका में उल्लिखित आवश्यक न्यूनतम अधोसंरचना उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) अथवा औद्योगिक परामर्श (Industrial Consultancy) पर केंद्रित आवेदन इस नीति के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iv) आवेदक इन्क्यूबेटर द्वारा औपचारिक साझेदारी / सहयोगात्मक प्रस्ताव मान्य होंगे, यदि आवेदक एवं सहयोगी संस्था संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों।

(v) भूमि एवं भवन पर किए गए व्यय को परियोजना लागत में आवेदक के अंशदान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा न ही ऐसे व्यय को इस नीति के अनुदान प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किया जावेगा।

(vi) इन्क्यूबेटर स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को उनकी मुख्य विशेषज्ञताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप चयनित सेक्टरों (Sectors) पर केंद्रित होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्क्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अधिकतम तीन (03) फोकस सेक्टरों की स्पष्ट पहचान की जा सकेगी। तथापि, प्रस्ताव में सम्मिलित कुल सेक्टरों की संख्या अधिकतम आठ (08) सेक्टर तक सीमित होगी। केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों (CFTI) एवं विश्वविद्यालय आधारित इन्क्यूबेटरों हेतु, विभागीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम 12 सेक्टर तक की अनुमति होगी।

(2) स्थापित इन्क्यूबेटर हेतु पात्रता मानदंड

(i) इन्क्यूबेटर द्वारा नीति की कंडिका 7(3) में उल्लिखित सभी पात्रता शर्तों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

4. राज्य शासन द्वारा इन्क्यूबेटर मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) आवेदक इनक्यूबेटर को विभागीय पोर्टल में पंजीयन कर उद्यम आकांक्षा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) प्रस्ताव को आवेदक संस्था के प्रमुख (Head of Institution) द्वारा अग्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित, विभागीय पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा:

(i) आवेदक संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र

(ii) इन्क्यूबेटर द्वारा विधिक इकाई के रूप में पंजीयन हेतु पंजीकरण / निगमन प्रमाण पत्र

(iii) आवेदक इन्क्यूबेटर का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) (यदि लागू हो)

(iv) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/इन्क्यूबेटर प्रोफ़ाइल

(v) आवेदक इन्क्यूबेटर द्वारा यदि इन्क्यूबेटर का संचालन किसी अन्य संस्था के सहयोग / साझेदारी से की जानी है तो किए गए अनुबंध / एमओयू की प्रति

(vi) आवेदक संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर को न्यूनतम 10 वर्षों हेतु भूमि/भवन उपलब्ध कराने के संबंध में अनुबंध पत्र

(vii) संस्था की सर्वोच्च शासी निकाय का औपचारिक प्रस्ताव (Resolution) (इन्क्यूबेटर स्थापना एवं न्यूनतम निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सहित)

(viii) प्रस्तावित टीम (CEO/मैनेजर) का विवरण

(ix) भवन लेआउट/मानचित्र (इन्क्यूबेट्स हेतु सीटिंग व्यवस्था दर्शित)

(x) उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति द्वारा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जा सकेंगे।

(4) स्थापित इन्क्यूबेटर हेतु आवश्यक दस्तावेज

(i) आवेदक संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र।

(ii) इन्क्यूबेटर द्वारा विधिक इकाई के रूप में पंजीयन हेतु पंजीकरण/ निगमन प्रमाण पत्र

(iii) आवेदक इन्क्यूबेटर का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (यदि लागू हो)

(iv) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/इनक्यूबेटर प्रोफ़ाइल

(v) इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स की सूची

(vi) पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण।

(vii) केंद्र/राज्य शासन की किसी योजना के तहत मान्यता प्राप्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र

(viii) यदि आवेदक इनक्यूबेटर द्वारा केंद्र/राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही हो तो उसकी जानकारी

(ix) विगत दो वर्षों की वार्षिक प्रतिवेदन

(x) इन्क्यूबेटर में कार्यरत BHASKAR (Bharat Startup Knowledge Access Registry) / स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में पंजीकृत मेंटर की सूची

(5) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अपूर्ण होने की स्थिति में, प्रकरण में कमियों को बताते हुए आवेदन कमीपूर्ति हेतु वापस किए जाएंगे। प्रस्तावित इनक्यूबेटर द्वारा 60 दिवसों की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर अपूर्ण आवेदन स्वमेव निरस्त मान्य होंगे।

(6) इन्क्यूबेटर मान्यता हेतु प्रस्तुत आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण एवं मूल्यांकन नोडल विभाग द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) को अग्रेषित किया जाएगा। प्राप्त पूर्ण आवेदन राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदनों का परीक्षण करेगी। पात्र एवं निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले इन्क्यूबेटरों को औपचारिक मान्यता प्रदान की जाएगी।

(8) प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे

(i) इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु आवेदक संस्था की तैयारी, संस्थागत क्षमता तथा उपलब्ध अधोसंरचना।

(ii) प्रस्तावित इन्क्यूबेटर टीम की विशेषज्ञता, अनुभव एवं संस्थागत क्षमता।

(iii) संभावित इन्क्यूबीटी (Incubates) के लिए सुव्यवस्थित कार्ययोजना का विवरण, जिससे उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप को आकर्षित करने एवं उन्हें विकसित करने की संस्था की क्षमता परिलक्षित हो।

(iv) सह-वित्तपोषण (Co-funding) की व्यवहार्य रणनीति, तथा अनुदान अवधि के पश्चात इन्क्यूबेटर की वित्तीय एवं संचालन स्थिरता का स्पष्ट विवरण।

(v) स्थापित इन्क्यूबेटरों को मान्यता प्रदान करने हेतु उनके पूर्व प्रदर्शन, संस्थागत क्षमता, उपलब्ध अधोसंरचना, स्टार्टअप समर्थन गतिविधियों, मेंटरशिप एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इन्क्यूबेटर द्वारा समर्थित स्टार्टअप्स की प्रगति, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग, कार्यक्रमों के संचालन तथा उद्यमिता संवर्धन में निभाई गई भूमिका को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(9) उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त, समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य प्रासंगिक बिंदुओं के आधार पर भी आवेदन का परीक्षण किया जा सकेगा तथा आवश्यकता होने पर इनक्यूबेटर को समक्ष बुलाया जा सकेगा।

(10) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त इन्क्यूबेटर ही इस नीति अंतर्गत उल्लेखित सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगी।

(11) किसी भी प्राप्त आवेदन में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(12) निरस्त प्रकरणो में इन्क्यूबेटर द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

(13) समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए समिति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी सदस्य सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह प्रकरणवार विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

(14) समिति से अनुमोदन प्राप्त प्रकरणों में सक्षम अधिकारी अथवा सदस्य सचिव द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे।

5. इन्क्यूबेटर हेतु अनुदान

(1) इन्क्यूबेटर की नवीन स्थापना हेतु अनुदान

(i) नीति की कंडिका 7(2) के अनुसार शासकीय एवं निजी क्षेत्र में स्थापित सभी नवीन इन्क्यूबेशन केंद्र को नीति में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर नीति में उल्लेखित मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(ii) आवेदन प्रक्रिया

(क) नवीन इन्क्यूबेशन केंद्र को स्थापना हेतु वित्तीय सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा –

(अ) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

(आ) मदवार बजट एवं अंशदान (वित्तपोषण स्रोत सहित)

(इ) भवन उपयोग अनुमति (नगरीय निकाय / सक्षम प्राधिकारी)

(ई) नीति कि कंडिका 7(2) के अनुसार इनक्यूबेटर संचालन का प्रमाण (यदि लागू हो)

(उ) नीति कि कंडिका 7(2) के अनुसार इनक्यूबेशन कोहॉर्ट्स संचालन का विवरण (यदि लागू हो)

(ऊ) नीति की कंडिका 7(2) के अनुसार इनक्यूबेट्स सूची एवं प्रदान की गई सेवाओं का विवरण (यदि लागू हो)

(ऋ) नीति की कंडिका 7(2) के अनुसार इनक्यूबेशन केंद्र द्वारा फंडिंग सहायता हेतु (यदि लागू हो)

(ए) यदि आवेदक इन्क्यूबेटर को नीति में उल्लेखित अनुभव नहीं होने पर साझेदार इन्क्यूबेटर के इन्क्यूबेटर संचालन, कोहॉर्ट संचालन, इन्क्यूबेट्स की सूची तथा स्टार्टअप को फंडिंग सपोर्ट के साक्ष्य आवेदक संस्था के द्वारा प्रस्तुत करने होंगे।

(ऐ) विगत वर्षों का अंकेक्षित लेखा-प्रतिवेदन (यदि संस्था पूर्व से संचालित है)

(ओ) भूमि भवन लीज पर प्राप्त होने की स्थिति में, न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित लीज डीड

(औ) इन्क्यूबेटर के संचालन हेतु इन्क्यूबेटर के नाम से पृथक बैंक खाते की जानकारी।

(अं) केंद्रीय योजनाओं से प्राप्त / प्राप्त हो रहे अनुदान / अनुदान का विवरण

(क) (ख) (ग) (घ)

(ख) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अपूर्ण होने की स्थिति मे, प्रकरण में कमियों को बताते हुये आवेदन कमीपूर्ति हेतु वापस किए जाएंगे। आवेदक इन्क्यूबेटर द्वारा 60 दिवसों की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होंगे।

(ग) पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर इन्क्यूबेटर का निरीक्षण संबन्धित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक के द्वारा किया जावेगा। निरीक्षण पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाइन उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा।

(घ) इन्क्यूबेटर मान्यता हेतु प्रस्तुत आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण एवं मूल्यांकन नोडल विभाग द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) को अग्रेषित किया जाएगा। प्राप्त पूर्ण आवेदन निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।

(ङ) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदनों का परीक्षण करेगी। पात्र एवं निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले इन्क्यूबेटरों को अनुदान हेतु अनुमोदन प्रदान करेगी। तथा समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जा सकेगा।

(च) राशि का वितरण हेतु किश्तों की संख्या समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। संचालन व्यय न्यूनतम 5 किश्तों में जारी किया जावेगा।

(iii) राशि वितरण से पूर्व आवश्यक शर्तें

(क) स्वीकृति की तिथि से 06 माह के भीतर आवेदक को एक पूर्णकालिक टीम नियुक्त करनी होगी। इस टीम में एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) / इन्क्यूबेटर प्रमुख और एक इन्क्यूबेशन प्रबंधक/इकोसिस्टम एनेबलर शामिल होंगे। ये पद संकाय सदस्य (Faculty Member) के लिए नहीं होंगे तथा नियुक्त व्यक्तियों को स्टार्टअप या स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।

(ख) राज्य स्तरीय नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप समन्वय एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु नोडल विभाग का एक प्रतिनिधि नवस्थापित शासकीय इन्क्यूबेटर की शासी निकाय (Governing Body) का सदस्य होगा।

(iv) नवीन इन्क्यूबेटरों की स्थापना एवं संचालन

(क) इन्क्यूबेटर का संचालन एक शासी निकाय/बोर्ड (Governing Body/Board) द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित संस्था के प्रमुख द्वारा की जाएगी।

(ख) शासी निकाय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित कर इन्क्यूबेटर की प्रगति की समीक्षा करेगा तथा उसके संचालन हेतु रणनीतिक एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(ग) संस्था एवं इन्क्यूबेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी गतिविधियाँ स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप हों तथा निर्धारित माइलस्टोन (Milestones) की प्राप्ति की दिशा में संचालित की जाएँ।

(घ) इन्क्यूबेटर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) / इन्क्यूबेटर प्रमुख को त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निर्णय-निर्माण हेतु पर्याप्त स्वायत्तता तथा संचालन संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

(ङ) इन्क्यूबेटर, इन्क्यूबीटी (Incubates) के चयन हेतु पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित प्रणाली अपनाएगा। इन्क्यूबेशन, इन्क्यूबेटर द्वारा निर्धारित शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगा।

(च) इन्क्यूबेटर एवं इन्क्यूबीटी के मध्य औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त विधिक समझौते (Legal Agreements) संपादित किए जाएँगे।

(छ) इन्क्यूबेटर को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिनमें प्रयोगशालाएँ, बैठक कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, उच्च गति इंटरनेट/वाई-फाई, को-वर्किंग स्पेस एवं आवश्यक मनोरंजन सुविधाएँ सम्मिलित होंगी।

(ज) प्रत्येक इन्क्यूबेटर की एक स्वतंत्र वेबसाइट होगी, जिसमें इन्क्यूबीटी एवं कार्यक्रमों का समग्र विवरण उपलब्ध होगा। वेबसाइट का अद्यतन न्यूनतम प्रत्येक तिमाही में एक बार किया जाना आवश्यक होगा।

(झ) सभी इन्क्यूबेटर राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति को अर्धवार्षिक आधार पर समग्र प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, पारदर्शिता एवं राष्ट्रीय पहलों जैसे स्टार्टअप इंडिया के साथ समन्वय सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी द्वारा चाही गई जानकारी आवश्यकतानुसार इन्क्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत किए जाएँगे।

(ञ) इन्क्यूबेटर, निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन एवं अनुपालन के आधार पर पात्र स्टार्टअप इकाइयों को अनुदान एवं सुविधाएँ प्रदान करने संबंधी अनुशंसा प्रदान करेंगे।

(ट) सह-इन्क्यूबेशन (Co-incubation) की अनुमति होगी, जिससे कोई इकाई एक से अधिक इन्क्यूबेटरों में इन्क्यूबेट हो सके। तथापि, इन्क्यूबेटरों द्वारा अनावश्यक बहु-पंजीयन को हतोत्साहित किया जाएगा, जब तक कि इन्क्यूबीटी को वास्तविक एवं उचित सहायता की आवश्यकता न हो।

(v) वित्तीय सहायता (Funding Support)

(क) सफल आवेदकों को इन्क्यूबेटर की स्थापना एवं संचालन हेतु पूंजीगत (Capital) तथा संचालन (Operational) व्ययों की पूर्ति के लिए अधिकतम 05 वर्षों की अवधि तक अनुदान सहायता (Grant-in-Aid) प्रदान की जाएगी। स्वीकृत अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग वितरण की तिथि से पाँच (05) वर्षों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत अव्ययित राशि, एवं उस पर अर्जित ब्याज सहित, राज्य शासन को वापस करना होगा।

(ख) शासकीय इन्क्यूबेटर हेतु कुल पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें पूंजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा 40% तक सीमित होगी। शेष राशि पात्र संचालन व्यय (Operational Expenditure) हेतु की जावेगी। जिसे पाँच (05) वर्षों की अवधि में समिति द्वारा निर्धारित किश्तों के आधार पर वितरित किया जाएगा।

(ग) निजी इन्क्यूबेटर (टियर-1 इन्क्यूबेटर) हेतु पात्र आवेदकों को उनकी कुल परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 करोड़ होगी। इसमें पूंजीगत व्यय (Capex) की अधिकतम सीमा 40% तक सीमित होगी। संचालन व्यय हेतु अनुदान पाँच (05) वर्षों की अवधि में समिति द्वारा निर्धारित किश्तों के आधार पर वितरित किया जाएगा।

(घ) निजी इन्क्यूबेटर (टियर-2 इन्क्यूबेटर) हेतु पात्र आवेदकों को उनकी कुल परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ होगी। इसमें पूंजीगत व्यय (Capex) की अधिकतम सीमा 40% तक सीमित होगी। संचालन व्यय हेतु अनुदान पाँच (05) वर्षों की अवधि में समिति द्वारा निर्धारित किश्तों के आधार पर वितरित किया जाएगा।

(ङ) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-4 के अनुसार परिभाषित समूह-3 विकासखंडों तथा बस्तर एवं सरगुजा संभाग के समूह-2 विकासखंडों में स्थित इन्क्यूबेटरों को उपरोक्त तालिका में उल्लेखित वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 10% (दस प्रतिशत) की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

(vi) मॉनिटरिंग (Monitoring)

(क) इन्क्यूबेटर को अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्ति की तिथि से छह (06) माह के भीतर संचालन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। अनुदान की आगामी किस्त जारी किए जाने से पूर्व संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate - UC) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निर्धारित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में पूंजीगत एवं/अथवा संचालन व्यय हेतु आगामी किस्तों का वितरण जारी नहीं किया जाएगा।

(ख) स्थापना हेतु अनुदान की निरंतरता एवं आगामी किस्तों का निर्गम पूर्णतः प्रदर्शन-आधारित (Performance Based) होगा तथा राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) द्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा की जाएगी। प्रगति में गंभीर कमी पाए जाने पर मध्यावधि में ही सहायता समाप्त की जा सकती है।

(ग) स्थापना अनुदान के अतिरिक्त इस नीति के अंतर्गत अन्य किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु आत्मनिर्भरता (Self-Sustainability) एक प्रमुख मूल्यांकन मानदंड होगा।

(vii) अनुदान का वितरण

(क) स्वीकृत अनुदान राशि का निर्गमन किश्तों (Tranches/Installments) में किया जाएगा, जिसका आधार निम्नानुसार होगा-

(अ) स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट माइलस्टोन की उपलब्धि।

(आ) इन्क्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) एवं प्रगति प्रतिवेदन।

(इ) किश्तों की संख्या राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) द्वारा प्रकरण-विशेष के आधार पर निर्धारित किया जावेगा

(ई) राज्य स्तरीय संवर्धन समिति को प्रदर्शन एवं अनुपालन के आधार पर आगामी किश्तों की समीक्षा, संशोधन अथवा रोके जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(viii) सामान्य दिशा-निर्देश **(General Guidelines)**

(क) इन्क्यूबेटर सहायता हेतु आवेदन करने वाले संस्थान/आवेदक को संबंधित सहायता दिशा-निर्देशों में उल्लेखित पात्रता मानदंडों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

(ख) संस्था की सर्वोच्च शासी निकाय द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव (Resolution) पारित किया जाएगा, जिसमें इन्क्यूबेटर की स्थापना (Host) करने तथा निर्दिष्ट न्यूनतम निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता होगी। प्रस्तावित स्थान में इन्क्यूबेशन सुविधाएँ, बैठक कक्ष, मनोरंजन क्षेत्र एवं आवश्यक अधोसंरचना सम्मिलित होना चाहिए।

(ग) इन्क्यूबेटर, पात्रता के अधीन, छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप नीति, 2025 के अंतर्गत अन्य प्रकार की सहायता हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) निम्नलिखित मदें परियोजना की पूंजीगत लागत में सम्मिलित नहीं की जाएँगी-

(अ) भूमि क्रय, भवन निर्माण (शेल एवं कोर), वाहन क्रय व्यय

(आ) किसी भी प्रकार का किराया व्यय

(इ) संस्था के स्वामित्व वाले परिसर हेतु किराया/लीज अथवा ईएमआई भुगतान

(ई) अनुदान स्वीकृति से पूर्व उपलब्ध मौजूदा मशीनरी/अधोसंरचना

(उ) इन्क्यूबेटर आवेदन तैयार करने हेतु बाह्य एजेंसियों/व्यक्तियों को दिया गया शुल्क

(ऊ) इकाई पंजीयन, बैंक खाता खोलने हेतु सीड मनी या समकक्ष व्यय

(ऋ) अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय

(ए) सेकेंड हैंड मशीनरी

(ix) स्वीकृत अनुदान का उपयोग केवल अनुमोदित उद्देश्य हेतु निर्धारित समय-सीमा में किया जाएगा। अव्ययित शेष राशि, अर्जित ब्याज सहित, नोडल विभाग को वापस करना अनिवार्य होगा।

(x) नवीन इन्क्यूबेटर को अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त होने की तिथि से छह (6) माह के भीतर अपना संचालन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। इन्क्यूबेटर द्वारा संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पाँच (5) वर्षों की अवधि में न्यूनतम 100 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी। इस लक्ष्य की गणना हेतु केवल वे स्टार्टअप्स मान्य होंगे, जिन्हें इन्क्यूबेटर द्वारा विधिवत चयनित कर न्यूनतम छह (6) माह की सतत इन्क्यूबेशन सेवाएँ प्रदान की गई हों तथा जिन्हें मेंटरिंग, व्यवसाय विकास, नेटवर्किंग, तकनीकी अथवा अन्य इन्क्यूबेशन सुविधाओं का दस्तावेजीकृत समर्थन उपलब्ध कराया गया हो।

(xi) प्राप्त अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) एवं ऑडिटेड लेखा-प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार नोडल विभाग को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(xii) पूंजीगत व्यय (Capex) के अंतर्गत इन्क्यूबेटर के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकास, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, आईटी एवं नेटवर्किंग उपकरण, प्रोटोटाइपिंग उपकरण, कॉन्फ्रेंस एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना आदि अधोसंरचना स्थापना, फर्नीचर, आईटी हार्डवेयर, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय सम्मिलित होंगे, जबकि संचालन व्यय (Opex) में वेतन, उपयोगिता सेवाएँ, रख-रखाव, सॉफ्टवेयर सब्स्क्रिप्शन, मार्केटिंग एवं आउटरिच, विशेषज्ञों के मानदेय, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ऑफिस संचालन व्यय हेतु आवश्यक उपभोग्य सामग्री सम्मिलित होंगी।

(xiii) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति को आवश्यकता अनुसार पूंजीगत एवं संचालन लागत के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय मदों को अनुमोदित करने का विवेकाधिकार होगा।

(2) इन्क्यूबेटर उन्नयन एवं संचालन अनुदान

(i) नीति की कंडिका 7(3) के अनुसार राज्य के स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्रों को नीति मे निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति करने पर नीति में उल्लेखित मात्रानुसार इन्क्यूबेटर उन्नयन एवं संचालन अनुदान की पात्रता होगी।

(ii) आवेदक इन्क्यूबेटर द्वारा पूर्व मे निवेशित राशि का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा:

(क) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वर्तमान स्थायी पूंजी निवेश का विवरण

(ख) निवेशित राशि में 25% वृद्धि का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाण-पत्र

(ग) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (प्रस्तावित निवेश एवं इन्क्यूबेशन क्षमता/सीटों में 25% वृद्धि का प्रस्ताव सहित)

(घ) न्यूनतम 2 वर्षों के संचालन का प्रमाण

(ङ) पिछले वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण

(च) राज्य शासन / केंद्रीय योजनाओं से प्राप्त/प्राप्त हो रहे अनुदान का विवरण

(छ) खरीदी गई मशीनरी/उपकरण के मूल बिल/इनवॉइस एवं अधोसंरचना के विकास मे व्यय का प्रमाण

(ज) सीए द्वारा सत्यापित भुगतान प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट/UTR)

(iii) पात्र इनक्यूबेटर द्वारा इस सहायता हेतु आवेदन, आवश्यक मशीनों/उपकरणों एवं संबंधित सॉफ्टवेयर की खरीद तथा उनकी सफल कमीशनिंग एवं उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) उन्नयन सहायता केवल राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) द्वारा विस्तृत परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरांत प्रदान की जाएगी। प्रत्येक आवेदन का पृथक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा तथा सहायता केवल प्रकरण-विशेष (Case-to-Case Basis) के आधार पर, लागू मानकों एवं पात्रता शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रदान की जाएगी।

6. कार्यक्रम आयोजन अनुदान

(1) छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति, 2025-2030 की कंडिका 7(4) के अनुसार राज्य शासन से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को स्टार्टअप्स, नवाचार और उद्यमिता से संबंधित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित नीति में उल्लेखित मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(2) पात्रता

(i) आवेदनकर्ता राज्य के मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केंद्र होने चाहिए।

(ii) स्टार्टअप-केंद्रित आयोजन ही इस अनुदान के लिए पात्र होंगे।

(iii) सहायता केवल छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित कार्यक्रमों पर लागू होगी।

(3) पात्र कार्यक्रम - निम्न प्रकार के कार्यक्रम सहायता के पात्र होंगे-

(i) स्टार्टअप बूटकैम्प, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ii) हैकाथॉन, आइडियाथान चैलेंज

(iii) पिचिंग सेशन, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम

(iv) कोहॉट लॉन्च/डेमो डे

(v) उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

(vi) मेंटर मास्टरक्लास / विशेषज्ञ सत्र

(vii) सेक्टर-विशिष्ट नवाचार कार्यक्रम, स्टार्टअप से संबंधित अन्य कार्यक्रम

नोट: गैर-स्टार्टअप कार्यक्रम, सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रम, सामान्य उत्सव आदि पात्र नहीं होंगे।

(4) प्रतिपूर्ति हेतु पात्र मद:-

(i) हॉल/वेन्यू शुल्क

(ii) ऑडियो-विजुअल व्यवस्था

(iii) प्रचार-प्रसार सामग्री (बैनर, पोस्टर, digital प्रमोशन)

(iv) इवेंट मैनेजमेंट सेवाएँ

(v) प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, प्रतिभागी किट

(vi) बाहरी विशेषज्ञ मेंटर्स का मानदेय

(5) प्रतिपूर्ति के लिए अपात्र मद:-

(i) उपहार/स्मृति चिन्ह

(ii) प्रतिभागियों / विशेषज्ञों का आवागमन एवं ठहराव (Travel/Accommodation)

(iii) किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति (Assets) की खरीद

(iv) नकद इनाम

(v) अन्य व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम से संबन्धित न हो।

(6) आवेदन प्रक्रिया:-

(i) इन्क्यूबेटर को कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व सूचना संबन्धित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा उद्योग संचालनालय मे ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना आवश्यक होगा। प्रस्ताव में कार्यक्रम का उद्देश्य, एजेंडा, संभावित प्रतिभागी, और अनुमानित बजट सम्मिलित करना आवश्यक होगा।

(ii) संबंधित कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि प्रतिनिधि की अनुपलब्धता के कारण उनकी उपस्थिति संभव न हो, तो उक्त कारण कार्यक्रम के आयोजन अथवा उसकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा, बशर्ते कि प्रतिनिधि को पूर्व सूचना एवं आमंत्रण प्रेषित किया गया हो।

(iii) आयोजन की समाप्ति के 90 दिवसों के भीतर इन्क्यूबेट को अनुदान हेतु निम्न दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल मे प्रस्तुत करना होगा-

(क) इवेंट रिपोर्ट (फोटो सहित)

(ख) पूर्व सूचना के संबंध मे ई-मेल की प्रति

(ग) प्रतिभागियों की उपस्थिति सूची

(घ) व्यय का विस्तृत विवरण

(ङ) मूल बिल/इनवॉइस (सील एवं हस्ताक्षर सहित)

(च) भुगतान प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, UTR आदि)

(छ) प्रचार सामग्री (पोस्टर, सोशल मीडिया लिंक आदि)

(iv) आवेदनो का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। प्रकरण पूर्ण एवं नियमानुसार होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जा सकेगा तथा किसी विसंगति की स्थिति में संचालक उद्योग की अनुमति से इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) आवेदन के नियमानुसार न होने पर/अपूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जा सकेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण तथा अपील प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(vi) बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का वितरण ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जावेगा।

(vii) बजट आबंटन के अभाव में अनुदान राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा, न ही अनुदान राशि पर ब्याज देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान आगामी बजट प्राप्त होने के उपरांत किया जा सकेगा।

7. एक्सेलेरेशन कार्यक्रम

(1) नीति की कंडिका 7(5) के अनुसार मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केंद्रों को एक्सेलेरेशन कार्यक्रम हेतु नीति में प्रावधानित मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(2) प्रस्तावित एक्सेलेरेशन कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 8 सप्ताह होगी।

(3) प्रत्येक कार्यक्रम में न्यूनतम 10 विकास-चरण के स्टार्टअप्स का चयन किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) कार्यक्रम में निम्न प्रमुख घटक सम्मिलित होना आवश्यक होगा -

(i) संरचित पाठ्यक्रम

(ii) विशेषज्ञ मेंटरशिप

(iii) व्यवसाय मॉडल सुदृढ़ीकरण

(iv) बाजार सत्यापन

(v) इन्वेस्टर कनेक्ट

(vi) नेटवर्किंग एवं उद्योग संवाद

(5) इन्क्यूबेशन केन्द्र के पास कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक प्रबंधन क्षमता एवं विशेषज्ञता उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी क्षमता अथवा विशेषज्ञता आंतरिक संसाधनों अथवा बाह्य विशेषज्ञों/सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकेगी।

(6) आवेदन प्रक्रिया

(i) एक्सेलेरेशन कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व नोडल विभाग/SSPC से सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु इन्क्यूबेशन केन्द्र द्वारा कार्यक्रम प्रस्ताव (DPR) एवं बजट सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

(ii) कार्यक्रम आयोजन के पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कार्यक्रम के समापन के 6 माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा।

(क) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR)

(ख) कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट (प्राप्त आवेदनों की संख्या, चयनित स्टार्टअप्स की संख्या, आयोजित मेंटरशिप सत्रों का विवरण, उद्योग एवं निवेशकों की सहभागिता, आयोजित कार्यशालाओं की संख्या, डेमो डे की जानकारी, कार्यक्रम पूर्ण करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या सहित)

(ग) मद-वार बजट उपयोगिता

(घ) कार्यक्रम प्रबंधन टीम का विवरण

(ङ) मेंटर्स एवं विशेषज्ञों की सूची

(च) स्टार्टअप चयन प्रक्रिया का विवरण

(छ) मूल्यांकन मानदंड

(ज) chartered accountant द्वारा सत्यापित व्यय विवरण

(झ) प्रतिभागी स्टार्टअप्स की सूची

(iii) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण अपूर्ण होने की स्थिति में, प्रकरण में कमियों को बताते हुये आवेदन कमीपूर्ति हेतु वापस किए जाएंगे। आवेदक द्वारा 60 दिवसों की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होंगे।

(iv) आवेदनो का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। प्रकरण पूर्ण एवं नियमानुसार होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जा सकेगा तथा किसी विसंगति की स्थिति में संचालक उद्योग की अनुमति से इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) आवेदन के नियमानुसार न होने पर/अपूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जा सकेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण तथा अपील प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(vi) बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का वितरण ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जावेगा।

(vii) बजट आबंटन के अभाव में अनुदान राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा, न ही अनुदान राशि पर ब्याज देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान आगामी बजट प्राप्त होने के उपरांत किया जा सकेगा।

(7) कार्यक्रम की संरचना

एक्सेलेरेशन कार्यक्रम सामान्यतः निम्न चरणों में संचालित किया जाएगा –

(i) प्रचार-प्रसार एवं आवेदन आमंत्रण इन्क्यूबेशन केन्द्र द्वारा राज्य स्तर पर स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(ii) मूल्यांकन एवं चयन-प्राप्त आवेदनों का इन्क्यूबेशन केन्द्र द्वारा गठित विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों की समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

(iii) चयन के प्रमुख मानदंड -

(क) नवाचार की क्षमता

(ख) बाजार संभाव्यता

(ग) व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता

(घ) टीम की क्षमता

(ङ) स्केल-अप की संभावना

(iv) एक्सेलेरेशन चरण में चयनित स्टार्टअप्स को निम्न सहयोग प्रदान किया जाएगा -

(क) वन टू वन मेंटरशिप

(ख) व्यवसाय रणनीति विकास

(ग) उत्पाद/सेवा परिष्करण

(घ) ग्राहक अधिग्रहण रणनीति

(ई) वित्तीय मॉडलिंग

(च) कानूनी एवं बौद्धिक संपदा परामर्श

(छ) निवेशक तैयारी

(v) निवेशक कनेक्ट/डेमो डे
कार्यक्रम के समापन पर स्टार्टअप्स को निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों, कॉर्पोरेट्स तथा अन्य हितधारकों के समक्ष प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(vi) पोस्ट-प्रोग्राम समर्थन
कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात भी स्टार्टअप्स को सीमित अवधि तक मेंटरशिप एवं निवेशक संपर्क में सहायता प्रदान की जाएगी।

(vii) स्वीकार्य व्यय मद

(क) मेंटर्स एवं उद्योग विशेषज्ञों का मानदेय

(ख) प्रशिक्षण सत्र एवं कार्यशालाओं का आयोजन व्यय

(ग) कार्यक्रम प्रबंधन एवं समन्वय व्यय

(घ) प्रचार-प्रसार एवं आउटरीच गतिविधियाँ

(ङ) निवेशक कनेक्ट / डेमो डे आयोजन व्यय

(च) कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक व्यय

(छ) सीमित प्रशासनिक व्यय

8. कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल **(CISCs)**

(1) इस नीति की कंडिका 7(6) के अनुसार विशिष्ट रूप से चिन्हांकित महाविद्यालय को नीति मे उल्लेखित पात्रता शर्तों की पूर्ति करने पर नीति मे निर्धारित मात्रानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(2) फंडिंग सहायता हेतु आवेदन प्रक्रिया

(i) शैक्षणिक संस्थाएँ विभागीय वेबसाइट के माध्यम से कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगी-

(क) महाविद्यालय/संस्थान की मान्यता प्रमाण-पत्र (UGC/AICTE / संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रमाण)

(ख) संस्थान का पंजीयन प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(ग) कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल (CISC) के गठन का आधिकारिक आदेश/अधिसूचना

(घ) सेल के नोडल अधिकारी/समन्वयक की नियुक्ति आदेश की प्रति

(ङ) प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना (एक्शन प्लान)

(च) नवाचार गतिविधियों की सूची

(छ) कार्यशालाएँ/हैकाथॉन/मेंटोरिंग सत्र

(ज) प्रोटोटाइप विकास गतिविधियाँ

(झ) प्रस्तावित वार्षिक बजट योजना (व्यय मदवार विवरण सहित)।

(ञ) संस्थान द्वारा राज्य शासन के संचालन सहयोग के बराबर स्वयं के संसाधनों अथवा भागीदारी के माध्यम से वित्तीय/संसाधन योगदान करने हेतु शपथ पत्र

(ट) नवगठित कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल (CISC) के प्रकरण मे प्रस्तावित कार्ययोजना एवं संस्थागत प्रतिबद्धता पत्र पर्याप्त माना जावेगा। एक वर्ष से अधिक पुराने CISC हेतु विगत वर्ष का संचालन एवं गतिविधि प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(ठ) आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट (कार्यक्रम विवरण, प्रतिभागियों की सूची, फोटो आदि)।

(ड) छात्र सहभागिता का विवरण (पंजीयन सूची/आईडी विवरण)।

(ढ) समर्थित स्टार्टअप/आइडिया/प्रोटोटाइप का विवरण।

(ण) उद्योग/इन्क्यूबेटर/अन्य संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू/सहयोग पत्र (यदि कोई हो)।

(ii) अपूर्ण आवेदन कमीपूर्ति बताते हुये आवेदक संस्थान को वापस किए जाएंगे। यदि आवेदक इकाई द्वारा 60 दिवसों में कमीपूर्ति नहीं की जाती है तो आवेदन स्वमेव निरस्त किए जायेंगे।

(iii) प्राप्त पूर्ण आवेदन को राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात, प्रत्येक कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल को सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

(iv) कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल को छात्रों की सहभागिता एवं स्टार्टअप परिणामों का अभिलेख रखना होगा तथा राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC) को प्रत्येक 06 माह में (अर्धवार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) आगामी वर्ष हेतु अनुदान का वितरण तभी किया जावेगा जब पूर्व स्वीकृत से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

(3) पात्र व्यय मद **(Eligible Heads)**

राज्य शासन द्वारा प्रदत्त संचालन अनुदान का उपयोग निम्नलिखित मदों तक सीमित रहेगा-

(i) नवाचार एवं उद्यमिता गतिविधियाँ हैकाथॉन, कार्यशालाएँ, बूटकैंप, स्टार्टअप प्रतियोगिताएँ एवं जागरूकता कार्यक्रम।

(ii) मेंटोरशिप एवं प्रशिक्षण - विषय विशेषज्ञों का मानदेय, फैकल्टी/स्टूडेंट उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(iii) प्रोटोटाइप एवं आइडिया समर्थन प्रारंभिक प्रोटोटाइप विकास, परीक्षण एवं IP परामर्श हेतु व्यय।

(iv) संचालन व्यय - स्टेशनरी, आईटी/सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, कार्यक्रम आयोजन व्यय।

(4) अपात्र व्यय

(i) अनुदान का उपयोग भवन निर्माण, वाहन क्रय, नियमित वेतन या गैर-नवाचार गतिविधियों में नहीं किया जाएगा।

(ii) पूर्व में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु इस अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(iii) इन निधियों का उपयोग पुरस्कार राशि अथवा नकद इनाम हेतु नहीं किया जा सकेगा।

9. इन्क्यूबेटर हेतु सामान्य शर्तें

(1) इन्क्यूबेशन केंद्रों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन अथवा सेवा गतिविधि प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्षों तक, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका 12.19 में प्रावधानित प्रावधानों के अनुसार राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(2) केंद्र सरकार/राज्य शासन के किसी योजना से सहायता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित सहायता की पात्रता होगी, परंतु समान मद में व्यय हेतु यह पात्रता नहीं होगी।

(3) नवीन इन्क्यूबेटर द्वारा सेवा गतिविधि प्रारम्भ तथा स्थापित इन्क्यूबेटर का उन्नयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि में प्रारम्भ किया गया हो।

(4) नीति की कंडिका 8 (1) के अनुसार राज्य शासन से सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटर को न्यूनतम 10% इन्क्यूबेशन सीट महिला एवं विशेष श्रेणी के उद्यमियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक/अग्निवीर, नक्सलवाद प्रभावित व्यक्ति/परिवार तथा दिव्यांगजन) हेतु तथा पृथक से न्यूनतम 10% इन्क्यूबेशन सीट प्राथमिकता क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप इकाइयों हेतु आरक्षित रखना होगा।

(5) इन्क्यूबेटर द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोज़गार का प्रतिशत औद्योगिक विकास नीति में निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाता है, तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं होगी तथा अनुदान राशि संबंधी क्लेम को निरस्त कर वापस समायोजित की जा सकेगी।

(6) उद्योग संचालनालय अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा अभिलेख मांगे जाने पर, यदि इन्क्यूबेटर द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत अनुदान को निरस्त करते हुए उसकी वसूली अथवा समायोजन की कार्यवाही की जा सकेंगी।

(7) यदि किसी इन्क्यूबेटर को उसकी पात्रता से अधिक अनुदान प्राप्त हो जाता है, तो उपर्युक्त प्रावधानों अनुसार अतिरिक्त अनुदान का निरस्तीकरण तथा उसकी वसूली समायोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(8) उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति अनुदान के निरस्तीकरण, संशोधन अथवा अधिक प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली/समायोजन हेतु आदेश संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

10. अपील-

(1) सक्षम अधिकारी/सदस्य सचिव अथवा संचालक उद्योग द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी।

(2) अपील शुल्क रु. 2000/- का भुगतान कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही अपील ग्राह्य होगी।

(3) अपील शुल्क का भुगतान 'विविध प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत चालान के माध्यम से किया जाएगा तथा संबंधित स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जाएगा।

(4). अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिंदु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

11. सामान्य शर्तें

(1) राशि की वसूली:-

(i) स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण अभिलेख के आधार पर की गई स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकेंगे तथा यदि राशि इकाई वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गयी हो तो वसूली आदेश जारी कर सकेंगे। यह राशि 12.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वसूल की जा सकेगी।

(2) उद्योग संचालनालय अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा नियमों से संबंधित किसी सूचना अथवा अभिलेख की मांग किए जाने पर, यदि इन्क्यूबेटर द्वारा उक्त सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रकरण पर पुनर्विचार करते हुए स्वीकृति निरस्त कर सकेगा तथा वसूली संबंधी आदेश जारी कर सकेगा।

(3) स्वप्रेरणा से निर्णय

भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आयुक्त संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु स्वीकृत अनुदान/छूट को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा। स्वयं के निर्णय / आदेश की भी समीक्षा भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आयुक्त संचालक उद्योग कर सकेंगे।

(4) क्रियान्वयन

(i) इन नियमों की व्याख्या, प्रतिपूर्ति की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(ii) राज्य शासन द्वारा नीति में संशोधन किए जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस नियम में यथास्थिति लागू होंगे।

(iii) इन नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने, आवेदन पत्र, निरीक्षण परीक्षण प्रतिवेदन के प्ररूप में संशोधन हेतु संचालक उद्योग सक्षम होंगे एवं प्रतिपूर्ति से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

(5) सक्षम अधिकारी

(i) इस नियम की कंडिकाओं में उल्लेखित सक्षम अधिकारी संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे।

12. कार्यकारी निर्देश

(1) अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु संचालक उद्योग सक्षम होंगें। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

(2) नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(3) इन नियम में विनिर्दिष्ट प्रावधान उपर्युक्त उल्लिखित अन्य अधिसूचित नियमों में वर्णित समरूप प्रावधानों पर अभिभावी होंगे।

(4) इस योजना के अंतर्गत कोई वाद होने पर राज्य के उच्च न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

(5) इन नियमों के अलग-अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। विभिन्न भाषाओं के संस्करण में किसी विवाद की स्थिति में हिन्दी संस्करण मान्य होगा।

(6) इन नियमों का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार,सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.